फर्द अहकाम

राघवेन्द्र. बनाम राजेन्द्र दत्ता वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा (जयपुर)

स संख्या ....29..../2021 प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1.5.2021	प्रार्थीगण की ओर से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक मूल वाद पत्र के साथ पेश किया गया । रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय बहस में सुना गया । प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अप्रार्थीगण अपनी भूमि के साथ प्रार्थीगण की भूमि को शामिल कर बेचान करने पर आमादा है इस कारण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया । मूल प्रार्थना पत्र स्थायी निषेधाज्ञा का है, तथा अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझते है। अतः अप्रार्थीगणो को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी तक पाबन्द किया गया जाता है कि आराजी 170, 168/1 व 169/1 कुल किता 3 रकबा 2.54 है0 वाके ग्राम कुम्भावास तहसील शाहपुरा के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को यदि कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें । तदानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 31.5.2021 को पेश हों । (हस्ताक्षर) **उप खण्ड अधिकारी** **शाहपुरा जिला जयपुर**	
31/5/21	वकील उभयपक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ कोरोना काल के द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा P.O. साहब ....अवकाश.... है। पत्रावली आइन्दा पेश इस आदेश की पालना मे दिनांक 5/7/21 को पेश हो।	
5/7/21	आज यह पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व मूल वाद के साथ पेश हुई, मूल वाद वादी के द्वारा वाद वापिस करने पर खारिज हो चुका है। अब इस प्रा.पत्र का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली के सब पूर्ति होकर जमा रिकार्ड से मूल वाद के शामिल रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर	